न्यायालय श्रीमान् मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट
कैम्प रीवा म0प्र0

COURT FEE
भारत INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

722
17.X.14

R - 3773 - III / 14

शिवनाथ पटेल तनय श्री रामसुन्दर पटेल उम्र 66 वर्ष, निवासी ग्राम रौरा, तहसील मनगवां, जिला रीवा म0प्र0 -----**निगरानीकर्ता**

बनाम्

धीरधर पटेल पटेल तनय श्री तेजभान पटेल निवासी ग्राम रौरा तहसील मनगवां जिला रीवा म0प्र0 -----**गैर निगरानीकर्ता**

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार मनगवां के प्रकरण कमांक 7/अ5/2013-14 मे पारित आदेश दिनांक 31.07.14

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता।

श्री पियूषशील मिश्रा एड द्वारा आज दिनांक 17-X-14 को प्रस्तुत किया गया

क्रमांक 3477
~~रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा~~ आज
दिनांक 29.10.14 को प्राप्त
कार्यालय
कोर्ट ऑफ रीडर
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः-

1. यह कि गैर निगरानीकर्ता धीरधर पटेल तनय तेजभान पटेल निवासी रौरा, पटवारी हल्का संसारपुर द्वारा ग्राम रौरा की भूमि खसरा नम्बर 142/7 रकवा 0.065 हेक्टेयर, 142/866/6 रकवा 0.012 हेक्टेयर एवं 143/6 रकवा 0.267 हेक्टेयर का नक्शा तरमीम हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार तहसील मनगवां के न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया था जिसमे तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षण मण्डल वृत्त सूरा से नक्शा तरमीम का प्रस्ताव मंगाया गया, जिसमे राजस्व निरीक्षक वृत्त सूरा द्वारा नक्शा तरमीम प्रस्ताव मौके मे कब्जे के आधार पर तैयार नही किया गया। जिस पर निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे आपत्ति प्रस्तुत की गयी, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय आपत्ति इस आधार पर निरस्त की गयी कि आपत्तिकर्ता/निगराकार ने किस आराजी खसरा कमांक का नक्शा तरमीम

शिवनाथ पटेल

XXXIX(a)-BR(H)-II

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3723/III/14 ...... जिला रीवा

प्रियानाथ ... धीरधर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23.2.2016	यह निगरानी तहo मनगवां के प्रकरण 7/अ-6/13-14 में पारित आदेश दिनांक 31-7-14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आवेदक अधिवक्ता श्री पीयूषकांत मिश्रा के तर्कों पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों एवं आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर प्रमुखतः यह तथ्य प्रकट हुआ कि प्रकरण में मुख्य विवाद नक्शा तरमीम से संबंधित है। तहo द्वारा राoनिo के प्रतिवेदन के आधार पर अपने आदेश दिनांक 31-7-14 से नक्शा तरमीम का आदेश पारित किया गया है जिसके विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में विद्यमान विवाद के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि नक्शा तरमीम के संबंध में शासन द्वारा संहिता की धारा 58, 69, 70 के तहत नक्शा तरमीम की शक्तियां तहसीलदार को प्रदाय की गई है इस प्रकार तहसीलदार द्वारा किया गया नक्शा तरमीम का आदेश मूल आदेश की श्रेणी में आयेगा तथा तहo द्वारा किया गया नक्शा तरमीम का आदेश मूल आदेश माना जावेगा ऐसे प्रत्येक मूल आदेश के विरुद्ध संहिता की धारा 44 के तहत अपील होगी (सकेगी) इस संबंध में संहिता की धारा 44(1) में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि कोई आदेश अनुo अधिo के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा जारी किया गया है तब अपील उस उपखण्डीय अधिकारी होगी- यहां नक्शा तरमीम का आदेश तहo द्वारा जारी किया गया है जो मूल आदेश है ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन आदेश जो मूल आदेश की श्रेणी में है के विरुद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है।	

R-5(13)/11/14

स्थान तथा दिनांक	दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश 9.2.14	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर यदि आवेदक अपील सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश करना चाहते हैं तो अपील पेश करने पर रा०मं० के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने के दिनांक से अपील प्रस्तुत करने की दिनांक तथा इस आदेश की संसूचना की दिनांक तक की अवधि की छूट अपील प्रस्तुत करने पर दी जावे।

उपरोक्त निर्देशानुसार यह निगरानी निराकृत की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा०रि०हो।

सदस्य

शाक्षेमुरना--714--असराणप्रखा--29-2-2012--15,000.